01

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 23.11.2020

42 शीशी नेपाली अवैध शराब की बरामदगी, अभियुक्त गिरफ्तार

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाए गए अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के निर्देशन और श्री तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक ढेबरूआ के नेतृत्व में पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 22.11.2020 को रामू निषाद पुत्र कुदई उर्फ मोकादम निवासी पकडीहवा थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर को ग्राम पकडीहवा से कुल 42 शीशी नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना ढेबरूआ में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग का पंजीकरण कर चालान न्यायालय किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1.रामू निषाद पुत्र कुदई उर्फ मोकादम साकिन पकडीहवा थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर

पंजीकृत अभियोग

1- मु.अ.सं. संख्या: 302/2020 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम।

बरामदगी-

42 शीशी नेपाली अवैध शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उपनिरीक्षक श्री अम्बुज शर्मा थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।

2 उपनिरीक्षक श्री उपेन्द्र सिंह थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर ।

3. हे0का0 संजीत श्रीवास्तव थाना ढेबरूआ जनपद सिद्धार्थनगर।

4.आबकारी निरीक्षक अजय कुमार आबकारी तृतीय शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

5.का0 रितेश मिश्रा आबकारी तृतीय शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर

02

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 23.11.2020

अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन एवं श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 22-11-2020 को पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही ।

दिनांक 22-11-2020 को जनपद सिद्धार्थनगर के सभी थाना क्षेत्रों में वाहन/अवैध शराब/ संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया । जिसके अन्तर्गत जनपदीय पलिस बल द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शराब के संबंध में की गयी अब तक की कार्यवाही में बरामद कुल 85 लीटर अवैध कच्ची शऱाब , 205 शीशी अवैध देशी शराब व 97 शीशी नेपाली शराब बरामद कर कुल 18 अभियुक्तों के विरूद्ध 60 आबकारी अधिनियम की कार्यवाही की गयी ।

01- थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त मनोज यादव पुत्र गंभीर यादव निवासी सुल्तानपुर थाना तौलियहवा जिला कपिलवस्तु राज्य नेपाल के कब्जे से 2 बोरी यूरिया खाद मय अदद साइकिल कीमती 3000/रूपये बरामद कर 11 कस्टम अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यवाही की गयी ।

02- थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त अशोक कहार पुत्र विन्देश्वरी कहार सा0 सदर थाना तौलियहवा जिला कपिलवस्तु राज्य नेपाल के कब्जे से 2 बोरी यूरिया खाद मय अदद साइकिल कीमती 3000/रूपये बरामद कर 11 कस्टम अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यवाही की गयी ।

03 थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 0298/2020 धारा 326,323,504 भादवि0 का वांछित अभियुक्त फूलचन्द पुत्र बरसाती हरिजन निवासी नखठर थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

03

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 23.11.2020

यातायात माह पर यातायात पुलिस द्वारा जागरूकता रैली निकालकर यातायात से संबंधित जागरूकता प्रदान की गयी।

यातायात जागरुकता माह के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर, श्री राम अभिलाष त्रिपाठी के निर्देशन में यातायात जागरुकता कार्यक्रम के दृष्टिगत आज दिनांक 23.11.2020 को शिवपति इंटर कॉलेज शोहरतगढ़ के एनसीसी के बच्चों द्वारा यातायात जागरूकता रैली निकालकर शोहरतगढ़ कस्बे में यातायात से संबंधित जागरूकता प्रदान की गई एवं आम जनमानस को यातायात नियमों से संबंधित स्लोगन, पोस्टर के माध्यम से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव तथा जन जागरण किया गया तथा ट्रक, बस, टैक्सी मालिकों का नुक्कड़ सभा के माध्यम से यातायात नियमों का प्रचार प्रसार किया गया तथा ऐसे ट्रक चालक व मालिक जो हाईवे पर वाहन पार्किंग कर दुर्घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं उनके वाहनों का चालान किया गया एवं हाईवे पर पार्किंग न करने हेतु हिदायत दी गई।

04

प्रेस नोट दिनांक 23-11-2020

श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा पुलिस लाइन सभागर में सदर सर्किल का अर्दली कक्ष/समीक्षा गोष्ठी कर प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये।

श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा आज दिनांक 23-11-2020 को पुलिस लाइन सभागार में सदर सर्किल के थाना-सदर, उस्का बाजार मोहाना, लोटन, एवं कपिलवस्तु का अर्दली कक्ष/समीक्षा गोष्ठी कर सर्किल की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गयी तथा प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निम्न आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गये।

महोदय द्वारा निम्न बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

1. 06 माह से अधिक अवधि से लंबित अभियोगों का विवरण।
2. आईटी अधिनियम के लंबित अभियोगों का विवरण।
3. महिला अपराध (धारा 354,363,366,376 भादवि0 का विवरण)
4. धोखाधड़ी(419,420 भादवि0) के लिए लंबित अभियोगों का विवरण।
5. IGRS पोर्टल पर लंबित मामलों का विवरण।
6. माननीय न्यायालय में दाखिल किये जाने हेतु शेष आरोप-पत्र / अंतिम रिपोर्ट का विवरण।
7. उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली -2020 के स्तम्भ-2 की धारा 3,4,5 के उल्लंघन से संबंधित कार्यवाही का विवरण।
8. सार्वजनिक स्थानों पर अवैध शराब/मदिरा-पान करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
9. वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।
10. गिरफ्तारी हेतु शेष चल रहे वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।
11. टाप-10 अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।
12. चिन्हित गैंग के पंजीकरण एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही के बारे में जानकारी की गयी।
13. भूमि-विवाद प्रकरण/थाना स्तर पर शिकायती प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात महोदय द्वारा विवेचनाओं के निस्तारण, पुराने मामलों के निस्तारण, जनशिकायत द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये। शहर व ग्रामीण इलाकों में पैदल गश्त, साइबर अपराध के रोकथाम सम्बन्धी प्रचार-प्रसार, साक्ष्य के आधार पर विवेचनाओं का निस्तारण एवं अभियुक्तों के प्रति वैधानिक कार्यवाही, निरोधात्मक कार्यवाही में गुण्डा अधिनियम,गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियान चलाकर कार्यवाही किये जाने आदि बिन्दुओं पर महोदय द्वारा निर्देश दिया गया।